Rs. 1650 lakh, Nagaland Rs. 1053 lakh, Sikkim Rs. 600 lakh and Tripura Rs. 3535 lakh. The total comes to more than Rs. 21700 lakh.

श्री सभापति : श्री कलराज मिश्र।

श्री कलराज मिश्र : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान को अधिकाधिक प्रचारित करने की दृष्टि से तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा हैं। माननीय कर्ण सिंह जी ने पहले ही प्रश्न के पहले हिस्से मे पूछा हैं कि सर्व शिक्षा अभियान की जो प्रगाति हैं, उसके लिए फीड बैक प्राप्त करने से सम्बन्धित प्रभावी प्रणाली अपनाई गई हैं या नहीं। इसका उत्तर तो नहीं आया हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि फीड बैंक प्राप्त करने की वह प्रभावी प्रणाली कौन-सी हैं,जिसके आधार पर सही तौर पर यह पता लग सके कि सर्व शिक्षा भियान पूर्वोत्तर राज्यों में प्रभावी तौर पर चल रहा हैं?

श्री अर्जुन सिंह : सभापति महोदय, समय-समय पर केन्द्रीय शासन ने 30specific capacity building programmes on various inputs of SSA programme नॉर्थ ईस्टर्न में चालूं किया हैं। SSA प्लानिंग में नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स में 17 specific training programmes किए गए। नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स ने इन डेढ़ वर्षो में 15 नेशनल लेवेल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स में भाग लिया। इसके साथ-साथ मोनिटरिंग तो एक continuous process हैं। मोनिटरिंग रेगुलरली चल रहा हैं। मैं स्वंय नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स में दो बार जा चुका हैं। वहां के सभी मुख्य मंत्रियों से सम्पर्क करके विशेष तौर से इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए निवेदन कर चुका हैं। उनका रिस्पांस हैं इसलिए मैं कहता हूं कि स्थिति पहले से अच्छी हैं।

Accountability of foreign channel operators

*65. SHRI VIJAYJ. DARDA:†
SHRIMATI MOHSINA KIDWAI:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the Amended Cable TV Network Rules, 1994 make foreign channel operators (Discovery, Ten Sports, Star Network and HBO) more accountable, as now they will have to register themselves by depositing Rs. 1.5 crore and also nominating an Indian for telecasting their programmes in the country;

(b) if so, whether a special mechanism has been evolved for this purpose; and

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Vijay J. Darda.

(c) if so, whether the discrepancies, if any, detected in their programmes would be taken care of?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Government has recently issued Policy Guidelines for Downlinking of Television Channels, which provide that no person/entity shall downlink a channel that has not been registered with the Ministry of Information and Broadcasting under these guidelines. It further provides all persons/entities desirous of downlinking TV channels shall be required to obtain permission from Ministry of Information and Broadcasting in accordance with the terms and conditions prescribed under these guidelines. As a result of these guidelines, the local delivery service providers i.e. cable operator and DTH service providers will distribute only registered TV channels.

The eligibility criteria prescribed in the guidelines for the applicant company seeking permission to downlink TV channel, *inter-alia* include:

- Possessing a net worth of Rs. 1.5 crores and Rs. 1 crore for every additional channel.
- It must be a company registered in India under the Indian Companies Act, 1956, irrespective of equity structure, foreign ownership or management control.
- The applicant company must have a commercial presence in India with its principal place of business in India.
- The applicant company to provide details of their Directors and key executives to obtain their national security clearance.

Every company permitted to downlink channels uplinked from other countries shall have to pay Rs. 5 lakhs as the initial fee. Similarly for each channel to be registered a fee of Rs. 5.00 lakhs for initial registration for five years will have to be paid. In addition an annual fee for Rs. 1.00 lakh per channel is payable.

The applicant person/entity desirous to downlink channels will be issued permission and certificate of registration after completion of the procedures laid down in the downlinking guidelines.

TV channels transmitted/retransmitted through the Cable TV Network and DTH Network are required to adhere to the Programme and Advertising Code prescribed in the Cable TV Network Rules, 1994, in accordance with the Cable TV Network (Regulation) Act, 1995 and DTH guidelines respectively. An Inter-ministerial Committee is already looking into violation of the Codes and action is being taken against the channels violating the codes from time to time.

Now through the downlinking guidelines, adherence to these codes has also been made obligatory upon all channels uplinking from abroad and downlinked into India and violations of conditions of downlinking will invite further action.

श्री विजय जे. दर्डा : सर, मेरी पहली सप्लीमेंटरी यह हैं कि भारत में कार्यरत विदेशी चैनलों से सम्बधित दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं- एक वित्त से सम्बन्धित हैं और दूसरा नैतिकता से सम्बन्धित। जहां तक वित्तीय स्थिति का प्रश्न हैं, इससे सरकार को अभी तक कितनी आमदनी हुई हैं? विदेशी चैनलों के माध्यम से जो कार्यक्रम और विज्ञापन दिखाए जाते हैं, उनमें अंध विश्वास, सेक्स और हिंसा ज्यादा होती हैं, जो कि बच्चों तथा परिवारों के लिए नैतिक और शैक्षिक दृष्टि से नुकसानदेह हैं। उदाहरण के लिए-पोगों और कार्टून नेटवर्क। उसके बारे में सरकार के पास अब तक कितनी शिकायतें आई हैं और सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्री प्रियरंजन दास मुशी :सभापति महोदय, यह सवाल जिस आधार पर पूछा गया हैं, उसमें पहले गलत सूचना सारे अखबारों में हो गई थी, यह जो हमारी डाऊन-लिंकिंग की गाइडलाइन्स चालू होने के बाद सूचित हुई थी, जिसको मैं पहले संशोधित करना चाहता हूं। चैनल रजिस्ट्रेशन के लिए डेढ करोड़, एक करोड़ के प्रावधान के बारे में जो सूचना हुई, वह गलत हैं। चैनल रजिस्ट्रेशन के लिए फॉरेन चैनल को पांच लाख और हर एडीशनल चैनल के लिए एक लाख का प्रावधान हम लोगों ने किया था, लेकिन जो कंपनी इसके रजिस्ट्रेशन के दायरे में आएगी, फॉरेन चैनल डाऊन-लिंकिंग के लिए, उसकी वित्तीय स्थिति, उसकी असेट्स, उसकी इक्विटी, इसके लिए हम लोगों ने प्रावधान किया डेढ़ करोड़ का और हर एडीशनल चैनल के लिए एक करोड़। यह तो हुआ, जहां तक चैनल रजिस्ट्रेशन का सवाल हैं। इसके बाद जो आमदनी का सवाल हैं, यह जब शुरू हुआ, करीब 20 अक्तूबर से, इसके बारे में हम लोगों ने कदम उठाए, रजिस्ट्रेशन की शुरूआत हो गई, लेकिन पूरी आमदनी कितनी हुई, इसके बारे में अभी फिलहाल मेरे पास पूरे तथ्य

नहीं हैं, लेकिन में आपकी अनुमति से ये तथ्य जल्दी ही प्राप्त करा कर आदरणीय सांसद महोदय के पास भेज दूंगा।

महोदय, जहां तक चैनल की बात हैं। इसमें कभी कोई शक नहीं कि बाहर से जो चैनल डाऊन-लिंक होकर हमारे इंडिया में आते हैं, उसके लिए फिलहाल कोई रेगुलेशन एक्ट या उसको कंट्रोल करने के लिए कि उनके कंटेंट क्या हैं, परजेंटेंशन क्या हैं, इसके लिए उतनी कानूनी व्यवस्था नहीं हैं, लेकिन डाऊन-लिकिंग के लिए हमारे केबल नेटवर्क रूल्स के तहत कुछ कोड हम लोगों ने बनाए हैं और उस कोड के अंतर्गत अगर कोई प्रोग्राम, जबरदस्ती केबल नेटवर्क रूल्स को वाइओलेट करके एंटरटेन करे, तो उसमें हर कदम उठाते हैं और उस कदम के अनुसार, जो एक फॉरेन चैनल रेनटेल रूस से आता था, उसको हम ने बैन कर दिया हैं। बाकी जिन दो-तीन चैनल के बारे में बात कहीं गई हैं,हम लोगों के पास कोई खास शिकायत नहीं आई हैं, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि शिकायत किसी प्रकार की भी हो, शिकायत है। इस संबंध में हमारा इंडियन ब्रोडकास्टिंग बिल जो 1997 में बनना था, वह हाऊस कोलैप्स होने की वजह से नहीं बन पाया, हमारा कनवर्जेन्स बिल जो तेरहवीं लोकसभा में बनना था, वह हाऊस कोलैप्स होने के वजह से नहीं बन पाया था, इन दोनो को संबद्ध करके एक नया कदम उठाने के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जल्दी ही हम लोग इसके बारे कोई कदम लेंगे और सदन को सूचित करेंगे।

श्री विजय जे. दर्डा : सभापति जी, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह सत्य हैं कि आपके पास किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आई हैं, किंतु क्या कोई पोगो कार्टून जैसे नेटवर्क का आपका विभाग समर्थन करता हैं या अभी तक उक्त कानूनों के तहत कितने चैनल आपने पंजीबद्ध किए हैं, उनका ब्यौरा हैं और कितने चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की गई हैं, जो सैक्स और अंध-विश्वास आदि को बढ़ाते है? क्या आप सेंसर बोर्ड की धरती पर टी.वी. के लिए भी ऐसा प्रावधान करने का विचार रखते हैं या करना पंसद करेंगे?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : सर, जहां तक फॉरेन चैनल का सवाल हैं, मैंने पहले बताया कि जो बाहर से अपलिंक होकर डाऊन-लिंक इंडिया में होता हैं, उसका तो हम उतना निर्यंत्रण नहीं कर सकते,लेकिन कंटेट अगर हमारे कोड के खिलाफ हो, तो हम कदम उठा सकते है और ऐसा कदम हमने पहले उठाया भी हैं, जैसा एक टी.वी. चैनल का नाम हमने आपको बताया था। जहां तक आदरणीय सदस्य महोदय बार बार "पोगों" की बात कर रहे हैं और दूसरे टी.वी. चैनल की बात कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, कभी कभी देश के अंदर कुछ टी.वी. चैनल प्रोग्राम में ऐसी चीजें आ जाती हैं, जो देखने के लायक नहीं होती और नैतिकता में बच्चों को एक गलत दिशा देती हैं, इसको रोकने के लिए, इस पर ठोस कार्रवाई के लिए हमारी यू.पी.ए. गवर्नमेंट एक

कंप्रेहेंसिव लॉ की बात सोच रहे हैं और इसके बारे में इंटर-मिनिस्टर्स बात चल रही हैं। मुझे हर्ष होगा कि बजट सेशन के पहले अगर हम इसके बारे में कोई कदम उठा सकें।

MR. CHAIRMAN: Shrimati Mohsina Kidwai, absent,. Shri Anand Sharma.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I must compliment the Minister on his maiden reply. As an Information and Broadcasting Minister, he has given a very comprehensive reply and the Government is also paying attention to this.

श्री सभापति : ऐसा कंप्रेहेसिव रिप्लाई तो पहले भी मिलता था।

श्री आनन्द शर्मा : सर, मैं अभी पहुंच रहा हूं वहीं तक।I also compliment his predecessor that the Ministry has paid attention to this matter which has been raised in the last session. We had a discussion in this House through a Calling Attention motion, Sir, regarding the contents and the downlinking policy. So, the channels, which are coming from outside, will be controlled, to some extent, with the new Down-linking Policy. But, the continuation, as the hon. Minister himself has admitted, of certain programmes on our own Indian channels has to be regulated. There is no regulatory body so far for the electronic media. It is there for print media and cinema. It needs to be done. Proliferation of channels and competitive sensationalisation is having its adverse impact on the people. Even the news reporting, especially the reporting of crime is done in a dramatic manner by all channels. This is done even during the peak hours/news time and is unsuitable for collective family viewing. So, I would like to know from the hon. Minister whether some urgent steps, as has been assured by the Minister, would be taken.

SHRI PRIYARANJAN DASMUNSI: Sir, I would like to inform the hon. Member, through you, that in so far as electronic media is concerned, it is a fact that -- as we censor films in Category A or U by the Film Certification Board -- there is no definite mechanism to decide which part of the film or which part of the TV serial, either in the Indian channel, including Doordarshan, which has some specific codes, or private channels coming from abroad could be tackled and controlled. But, Sir, I would like to inform you that the Central Monitoring Service, which was earlier under the Prasar Bharti, was transferred by the earlier Government to the Ministry of Information and Broadcasting. It is now named as

Electronic Media Monitoring Centre. The proposed Centre is working with the help of the National Technical Research Organisation w.e.f. 10th April, 2005. But, I must honestly confess to the hon. House that the mechanism itself is not sufficient to gear up the entire thing in the whole country because the Cable networks, sometimes, ignore the Cable Network Regulations without the knowledge of the District Monitoring Committee headed by the District Magistrate and the Superintendent of Police. Somebody by parking here and there. So, I am really, after taking over the Ministry from my distinguished predecessor who was also deeply thinking on it, of the opinion that very soon we have to consult the industry, channels and to keep a good image of the country's viewers, understanding of the country and to protect the children and teenage, we may have to intervene in a much vigorous way in the private channel operation also so far as viewing is concerned.

श्री शारद यादव : सभापति जी, इस देश में जिस तरह से चैनल चल रहे हैं, उनमें दिखाया जा रहा हैं-काल, कपाल और महाकाल। एक आदमी ने, इस देश में सिरफिरों की कमी नहीं हैं, कह दिया कि मैं इतने घंटों बाद मरूंगा। दो दिन तक पूरे देश के चैनल देश की सारी खबरें दिखाना बंद करके उस आदमी की मौत को बेचते रहे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो श्री मुंशी जी मंत्री बने हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : अभी मरा नहीं।

श्री शरद यादव : मैं वहीं कह रहा हूं। सभापति जी, यह प्रश्न-काल हैं, इसमें इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं हैं, मैं यह चाहता हूं कि इस पर आप व्यापक बहस कराने का समय हम लोगों को दें ताकि हमें अपनी बात पूरी तरह से रखने का मोका मिले। लेकिन, मुंशी जी, जो इस मंत्रालय के मंत्री बने, उनको मैं बधाई देता हूं, वे बहुत आगे देखने वाले आदमी हैं और देश का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं, जसिका जवाहर लाल नेहरू जी से लेकर हमारे आजादी का आंदोलन में एक बड़ा मकसद रहा हैं, यह जो चैनल आया है लोगों को बुद्धिमान बनाने का-काल, कपाल, महाकाल, जो पागल लोग हैं, इस देश में बहुत सी जगह पर उनको और इस तरह के सारे कामो को बंद करना चाहिए। मैं आनन्द शर्मा जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि यह जो अपराधियों को दिखाने का काम चला हुआ हैं, इसमें एक से एक उपाय बता रहे हैं कि कैसे अपराध किए जाते हैं, इन सबकों बंद करने की जरूरत हैं। लोकतंत्र का मतलब मर्यादाहीनता नहीं होती, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं और आपसे मेरी विनती हैं कि आप इस पर जरा बहस करा दें ताकि हमको भी और बाकी लोगों को भी इस पर जरा बहस करा दें ताकि हमको भी और बाकी लोगों को भी इस पर बोलने का मौका मिले।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैं आपके माध्यम से श्री शरद यादव जी को यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना पहले भी घट चुकी हैं और उसके बारे में एक नहीं करीब 36 चैनल्स में दिखाए गए कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर हम लोगों ने कदम उठाया हैं। उन चैनल्स के नाम बताने में समय बहुत अधिक लग जाएगा इसलिए उसकी एक लिस्ट मैं आपको भिजवा दूंगा।

जहां तक काल कपाल महाकाल के बारे में आपने जो सूचना दी हैं, मैं उसे अपनी तरफ से अवश्य देखूंगा, लेकिन काल तो बहुत जटिल हैं, काल तो ऐसा हैं जिसे हम पॉलिटिशियन्स भी समझते हैं चाहे वह दागी हो या कोई दूसरा हो ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : यदि काल इनका हो गया तो कपाल किसका होगा?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : महोदय, मैं तो इतना ही कहूंगा कि काल बहुत खराब हैं। सभी पॉलिटिशियन लोग समझते हैं कि भीड़ जुटाने के लिए फिल्म स्टार्स का सहारा लेना जरूरी हैं, यह चीज भी ठीक नहीं हैं फिर चाहे वह किसी भी रूप में एक्टिंग करें, अच्छी हों या बुरी हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने इस संबंध में जो सूचना दी, उसे मैं गौर से देखूंगा और जो भी आवश्यक कदम इस संबंध में उठाना चाहिए, वह अवश्य उठाऊंगा।

श्री दत्ता मेघे : महोदय, यह भी कहा गया हैं कि इस पर बहस होनी चाहिए।

श्री सभापति : हो जाएगी।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, I am on a little different point. I would like to know from the hon. Minister whether the Government is aware that it is being brought into practice to use foreign channels' as brand name. Foreign channels do not come directly, rather some Indian channels use the name of foreign channels. Is it in your knowledge? If yes, is there some sort of regulation, otherwise there will be a lot of misuse if this kind of things are not regulated?

SHRI PRIYARANJAN DASMUNSI: Sir, I have information. But if the hon. Member is in possession of any such information, he can bring it to my notice. But I may inform the hon. Member that if it is an entertainment channel, the foreign channels can come into India and register with their own hundred per cent equity; but if a foreign channel participates as a news media channel, they have only 26 per cent equity in the entire arrangement. And, their presence in India should be looked at with commercial interest, having an Indian to operate the whole thing. So, that arrangement had been introduced by our Government in the guidelines.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, my question was on using the foreign channels' as a brand name, and nothing else. The foreign channels are not going to come, except getting their brand name to be used, If it is channel 'x\ the 'x' brand would be used.

SHRI PRIYARANJAN DASMUNSI: As I told you, Sir, there is no such information in my office about any Indian company covertly using a foreign brand name and operating in India.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, first of all I would like to congratulate the hon. Minister, Shri Priyaranjan Dasmunsi, for his new assignment.

I think, the hon. Minister would be knowing that we have got 4 crore cable homes and 4 crore TV homes. Eight crore TV homes are there, plus cable channels are coming. They are proliferating daily. The channels are also manipulating many things. But consumers have no say at all, and the consumers are forced to see what they are offered. Does the Government have any kind of scheme or action to ensure that consumer's voice is heard in the distribution of channels, including foreign channels?

SHRI PRIYARANJAN DASMUNSI: Sir, I fully share the concern of my distinguished predecessor, Shri Ravi Shankar Prasad. It was a matter of concern for me, the very first day I assumed office, that may be somewhere in the name of so-called regulation, the control of the cable network is dominating over the consumers to the extent that on their sweet will the consumers will have to accept whatever they offer on payment of certain fees. I have decided to call a meeting in this regard in the last week of this month to understand their operation. And, if there is any loophole, I will come out with a new programme and policy to benefit the consumers.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, I am thankful to the hon. Minister that he is going to envisage some stringent laws to regulate the foreign channels as well as the domestic channels. But, Sir, one thing is quite evident, and I am sure that he will accept, that before putting the regulatory measures in practice, the viewership of our country was exposed to the foreign channels, and thereby the original question was raised by my friend, Shri Vijay Darda, that morally and ethically we have committed a blunder, and, in fact, as the hon. Minister replies, that since1997 it is

being attempted to. But today it is 2005. Long after 8 years, we are discussing about the modality and ethical problems of the foreign channels. Does the Minister accept that there is a peculiar situation.. *..(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Mr. Bhattacharya, please come to the question.

SHRIMANOJ BHATTACHARYA: Yes, Sir. There is a peculiar situation about the channels which are specially designated for the children like Pogo, Cartoon Network, etc. He was talking of convergence. He said that by combining the Convergence Bill and other Bills together, he will come out with a new Bill. Now, till the time this Bill is not put in place, without coming to Parliament...

MR CHAIRMAN: Please come to your question. *...(Interruptions)...*

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: ...whether the Ministry is contemplating to raise the amount for downlinking from only Rs. 5 lakhs to a higher amount.

MR. CHAIRMAN: That is enough.

SHRI PRIYARANJAN DASMUNSI: Sir, at the present moment, there is no thinking in this regard. But while we would review the entire guideline process, if we sincerely feel whether something more could be done in this regard, we can think over it at that stage.

श्री शाहिद सिद्दिकी : सर, जैसा मनोज जी ने कहा कि सात-आठ साल लग चुके हैं कोई कानून नहीं बना हैं। लेकिन इस बीच में देश की जो मॉरेलिटी हैं, मर्यादा हैं वह खत्म होती जा रही हैं, रिमिक्सेज जो आज आ रहे हैं, उस तरह से जिस तरह मखौल बनाया जा रहा हैं हमारे संगीत का और हमारे देश की जो मर्यादा है जो परम्परा हैं उसका, जैसे कि वह गाना आता हैं-मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, उसमे जितनी नाचती होती हैं किसी के शरीर पर कोई दुपट्टा नही होता हैं। उस तरह से जो मजाक बनाया जाता हैं उसके लिए आप फौरी तौर पर क्या कदम उठा रहे हैं, रिमिक्सेज सबसे ज्यादा गंदगी पैदा कर रहे हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए फौरी कदम उठाने की जरूरत हैं, कानून तो बनता रहेगा। ....(व्यवधान)...

SHRI PRIYARANJAN DASMUNSI: Sir, I think, I have already replied to it. *...(Interruptions)...*

श्री सभापति : फौरी कदम यही होगा कि एक लाल दुपट्टा वहां भेज दें।

श्री मोती लाल वोरा : माननीय सभापति महोदय, अगर प्रश्न संख्या-72 भी देखें तो यह बिल्कुल लगभग यही प्रश्न हैं। माननीय मंत्री महोदय, यह जो फॉरेन टेलविजन के माध्यम से चैनल चल रहे हैं जैसे डिस्कवरी हैं, उसके साथ-साथ एच.बी.ओ. हैं, ये इस प्रकार के जो चैनल चलते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे जो चैनल अभी चल रहे हैं और जिस पर आपने कहा कि हर एक प्रदेश के अंदर जिलाधिकारी उस पर कार्रवाई कर सकता हैं और इसमे संशोधन करने की बात भी पिछले सत्र में कही गई थी। तो क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के जो चैनल आज चल रहे हैं और सब की निगाह में डिस्कवरी, टेन स्पोट्स, स्टार नैटवर्क, एच.बी.ओ. इत्यादि समाचार पत्रों में लगातार प्रचार होने के बाद भी क्या आपका विभाग इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए तत्परता दिखाएगा?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : सर, मैंने पहले ही आपके माध्यम से सदन को सूचित किया कि जहां तक अपिलंकिंग होकर चैनल यहां आकर डाउन लिंकिंग होता हैं, उसकी रोकथाम के लिए मैंने जो रजिस्ट्रेशन में रूल्स लागू किया हैं, डाउन लिंकिंग गाइड लाईस में, गाइड लाईस को और मजबूत किया हैं कि अगर हमारे कंटेटस के खिलाफ कोई चीज आ जाए तो उसको रोकना पड़ेगा केबल नेटवर्क रूल्स के तहत। फिर भी इसके बाद अगर आवश्यकता पड़े तो हमारा इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप्स के बारे में चर्चा कर रहा हैं। कोई खास कदम जिसके लिए मैं तैंयारी कर रहा हूं और जरूर सदन के सामने सूचित करने के लिए मैं आ जाऊंगा।

श्री सभापति :माननीय मंत्री महोदय, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और जिस तरह से प्रश्नों की सूची बहुत हैं ....(व्यवधान)...

श्री मोती लाल वोरा : महोदय, इनका मंत्रालय इस बात को देख ले, क्योंकि रोजाना चैनल में दिखाया जा रहा हैं, इसमें और किसी जांच की आवश्यकता नहीं हैं।

श्री सभापति : नहीं, खुद भी देखतें होंगे, परेशान होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर सदन की इच्छा हो तो यह बहुत इमपोर्टेट इश्यू हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करवा दें।

अवैध खनन

*66. **श्री सुरेन्द्र लाठ** : †
श्री कृपाल परमार :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई भागों में अवैध खनन गतिविधियां चल रही हैं,

† सभा में यह प्रश्न सुरेन्द्र लाठ द्वारा पूछा गया